झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका संख्या 1074 / 2020

---

1. महाप्रबंधक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अपने डीजीएम (लॉ) सेल, बोकारो स्टील प्लांट के माध्यम से, अरविंद कुमार उपाध्याय, उम्र लगभग 54 वर्ष, पुत्र श्री एस.एन. उपाध्याय, निवासी 242, ए, को-ऑपरेटिव कॉलोनी, बोकारो स्टील प्लांट, इस्पात भवन, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो, डाकघर और थाना - बोकारो, जिला - बोकारो।
2. उप महाप्रबंधक (कार्मिक), नगर प्रशासन, चिकित्सा एवं शिक्षा, सेल, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील सिटी, डाकघर और थाना - बोकारो, जिला - बोकारो।

... ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्रीमती तालुका देवी, पत्नी नवल किशोर रजक।
2. उत्तम रजक, पुत्र स्वर्गीय नवल किशोर रजक, दोनों निवासी सेक्टर-II, क्वार्टर नंबर 1, 335, बोकारो स्टील सिटी -बोकारो, जिला-बोकारो।

... ... उत्तरदाता

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

याचिकाकर्ताओं की ओर से: **श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता।**
श्री अर्पण कुमार मिश्रा, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से: **श्री अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता।**

आदेश संख्या 08/दिनांक 18 जनवरी, 2024.

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका, जिसके तहत विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना बेंच, रांची में सर्किट बेंच द्वारा ओ.ए. संख्या 051/168/2017 में दिनांक 08.01.2018 को पारित आदेश पर हमला किया गया है, जिसके तहत विद्वान न्यायाधिकरण ने मूल आवेदन का निपटारा करते हुए प्रतिवादी अधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से मृतक कर्मचारी के पुत्र आवेदक संख्या 2 के मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में उल्लिखित आयु पर विचार करने का निर्देश दिया है।

2. रिट याचिका में की गई दलील के अनुसार रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका दायर करने के लिए प्रेरित करने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:-

3. दलील से ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याचिकाकर्ता के पिता एक्स-ऑपर्ट-कम-अटेंडेंट के रूप में काम करते समय 26.02.2017 को एक दुर्घटना में मर गए थे। रिट याचिकाकर्ता ने इस तरह की नियुक्ति के मामले पर विचार करने के लिए योजना के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है। उपर्युक्त आवेदन पर विचार किया गया और इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि रिट याचिकाकर्ता की आयु 35 वर्ष से अधिक थी, जो नियुक्ति के लिए प्रदान की गई अधिकतम आयु बाधा है। व्यक्तिगत मूल्यांकन फॉर्म में मृतक कर्मचारी द्वारा संदर्भित आयु के विवरण पर विचार करने के बाद ऐसा निष्कर्ष निकाला गया है, जिसमें जिस दिन रिट याचिकाकर्ता की आयु दी गई थी, जो कि 21 वर्ष थी, जिस तारीख को ऐसा आवेदन दायर किया गया था, वह पहले ही 35 वर्ष की आयु पार कर चुका था।

4. जबकि दूसरी ओर, आवेदक, प्रतिवादी का मामला मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में निहित आयु पर आधारित है, जिसके अनुसार, प्रतिवादी के अनुसार, आवेदक संख्या 2 की आयु 35 वर्ष से कम है।

5. प्रतिवादी ने रिट याचिकाकर्ता के उपरोक्त निर्णय को चुनौती देते हुए विद्वान न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, यह आधार लेते हुए कि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में निर्धारित आयु के अनुसार, जो कि आयु का एकमात्र निर्णायक सबूत है और उसे ध्यान में नहीं रखा गया है, बल्कि व्यक्तिगत डेटा फॉर्म में उपलब्ध आयु पर विचार किया गया है और ऐसा करते समय, रिट याचिकाकर्ता, प्रतिवादी ने विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष घोर अवैधता की है।

6. विद्वान न्यायाधिकरण ने पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना की है। विद्वान न्यायाधिकरण ने आवेदक, प्रतिवादी के आधार को स्वीकार कर लिया है और प्रतिवादी, रिट याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए प्रतिवादी, आवेदक के मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में उल्लिखित आयु के आधार पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ मूल आवेदन का निपटारा कर दिया है, उक्त आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त

न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत चुनौती दी गई है, **एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले के मद्देनजर, (1997) 3 एससीसी 261 में रिपोर्ट किया गया।**

7. रिट याचिकाकर्ता स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अर्पण कुमार मिश्रा ने यह आधार लिया है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने व्यक्तिगत तिथि प्रपत्र में उल्लिखित आयु पर भरोसा न करके, बल्कि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में उल्लिखित आयु पर भरोसा करके घोर त्रुटि की है और इसलिए आक्षेपित आदेश अवैधानिक है, इसलिए यह कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है।

8. जबकि दूसरी ओर, प्रतिवादी आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सिंह ने विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन में आक्षेपित आदेश का इस आधार पर बचाव किया है कि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र ही उक्त आयु को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए निर्णायक सबूत है।

9. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के आधार पर आयु पर विचार करने के बजाय, मृतक के पिता द्वारा भरे गए व्यक्तिगत तिथि प्रपत्र में उल्लिखित आयु पर विचार किया गया है और रिट याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया है, जो उनके अनुसार आयु के आकलन में अनुमान के अलावा और कुछ नहीं है।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, विवादित आदेश में विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज निष्कर्ष तथा रिट याचिका में निहित दलील का अवलोकन किया गया।

11. यह न्यायालय, आरोपित आदेश की वैधता और औचित्य के मुद्दे पर विचार करने से पहले, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त क्षेत्राधिकार के बारे में संदर्भित करना उचित और उचित समझता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में माना है, जिसके पैरा 79 में यह माना गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना है।

12. यह न्यायालय तथ्य और कानूनी स्थिति पर चर्चा करने के बाद अब निर्णायक द्वारा पारित पुरस्कार में हस्तक्षेप दिखाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदत्त न्यायिक समीक्षा के दायरे के बारे में चर्चा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सैयद याकूब बनाम राधाकृष्णन, ए.आई.आर. 1964 एससी 477. उक्त निर्णय का पैराग्राफ संख्या 7 निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:

"अनुच्छेद 226 के तहत उत्प्रेषण रिट जारी करने में उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के बारे में प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा अक्सर विचार किया गया है और इस संबंध में वास्तविक कानूनी स्थिति अब संदेह में नहीं है। उत्प्रेषण रिट निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा किए गए अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को सुधारने के लिए जारी की जा सकती है: ये ऐसे मामले हैं जहाँ निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा अधिकार क्षेत्र के बिना या उससे अधिक या अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप आदेश पारित किए जाते हैं। इसी तरह एक रिट तब भी जारी की जा सकती है जब उसे दिए गए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायालय या न्यायाधिकरण अवैध या अनुचित तरीके से कार्य करता है, उदाहरण के लिए, यह आदेश से प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी प्रश्न का निर्णय करता है, या जहाँ विवाद से निपटने में अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्प्रेषण रिट जारी करने का अधिकार क्षेत्र एक पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र है और इसका प्रयोग करने वाला न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं है। इस सीमा का अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि साक्ष्य की सराहना के परिणामस्वरूप अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्यों के निष्कर्षों को रिट कार्यवाही में फिर से नहीं खोला जा सकता है या उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। रिकॉर्ड के आधार पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली विधि की त्रुटि को रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन तथ्य की त्रुटि को नहीं, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो। न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में, उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है यदि यह दर्शाया जाता है कि उक्त निष्कर्ष को दर्ज करते समय न्यायाधिकरण ने स्वीकार्य और महत्वपूर्ण साक्ष्य को स्वीकार करने से गलती से इनकार कर दिया था, या अस्वीकार्य साक्ष्य को गलती से स्वीकार कर लिया था जिसने विवादित निष्कर्ष को प्रभावित किया है। इसी तरह, यदि तथ्य का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, तो उसे विधि की त्रुटि माना जाएगा जिसे उत्प्रेषण रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है। हालांकि, इस श्रेणी के मामलों से निपटने में, हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को इस आधार पर प्रमाणिक रिट की कार्यवाही में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य आपत्तिजनक निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त या अपर्याप्त थे। किसी बिंदु पर दिए गए साक्ष्य की पर्याप्तता या पर्याप्तता और उक्त निष्कर्ष से निकाले जाने वाले तथ्य का अनुमान न्यायाधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है, और उक्त बिंदुओं को रिट कोर्ट के समक्ष नहीं उठाया जा सकता

है। यह इन सीमाओं के भीतर है कि अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है। 226 के तहत उत्प्रेषण रिट जारी करने का प्रयोग वैध रूप से किया जा सकता है (देखें हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद इशाक, 1955-1 एससीआर 1104 : ((एस) एआईआर 1955 एससी 233); नागेन्द्र नाथ बनाम हिल्स डिवीजन के कमिश्नर, 1958 एससीआर 1240 : (एआईआर 1958 एससी 398) और कौशल्या देवी बनाम बचित्तर सिंह, एआईआर 1960 एससी 1168।

हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद इशाक एवं अन्य, एआईआर 1955 सुप्रीम कोर्ट 233 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 21 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

"उत्प्रेषण रिट के चरित्र और दायरे और जिन शर्तों के तहत इसे जारी किया जा सकता है, उनके संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्थापित माने जा सकते हैं: (1) उत्प्रेषण अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को ठीक करने के लिए जारी किया जाएगा, जैसे कि जब कोई अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण अधिकार क्षेत्र के बिना या उससे अधिक कार्य करता है, या इसका प्रयोग करने में विफल रहता है। (2) उत्प्रेषण रिट तब भी जारी की जाएगी जब न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने निस्संदेह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अवैध रूप से कार्य करता है, जैसे कि जब वह पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय देता है, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। (3) उत्प्रेषण रिट जारी करने वाला न्यायालय पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, न कि अपीलीय अधिकार क्षेत्र का। इसका एक परिणाम यह है कि न्यायालय अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा निकाले गए तथ्यों की समीक्षा नहीं करेगा, भले ही वे गलत हों। यह इस सिद्धांत पर है कि जिस न्यायालय के पास किसी विषय-वस्तु पर क्षेत्राधिकार होता है, उसके पास गलत के साथ-साथ सही का भी निर्णय करने का क्षेत्राधिकार होता है, और जब विधानमंडल उस निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार प्रदान नहीं करना चाहता, तो यह उसके उद्देश्य और नीति को पराजित करेगा, यदि कोई उच्च न्यायालय साक्ष्य के आधार पर मामले की पुनः सुनवाई करे और उत्प्रेषणात्मक रूप में अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करे।"

सावर्ण सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (1976) 2 एससीसी 868 में, उनके माननीय न्यायाधीशों ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उत्प्रेषण रिट जारी करने की शक्ति पर चर्चा करते हुए, पैराग्राफ संख्या 12 और 13 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

"12. प्रस्तुत विवादों पर विचार करने से पहले, यह ध्यान रखना उपयोगी होगा कि उत्प्रेषण अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को इंगित करने वाले सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग केवल अवर

न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा किए गए अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को सुधारने के लिए किया जा सकता है। उत्प्रेषण रिट केवल पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में जारी की जा सकती है जो अपीलीय अधिकार क्षेत्र से अलग है। अनुच्छेद 226 के तहत विशेष अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं है। जैसा कि इस न्यायालय ने सैयद याकूब के मामले (सुप्रा) में बताया था।

13. अवर न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में, उत्प्रेषण रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब ऐसे निष्कर्ष को दर्ज करते समय न्यायाधिकरण ने ऐसे साक्ष्य पर काम किया हो जो कानूनी रूप से अस्वीकार्य हो, या उसने स्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो, या यदि निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित न हो, क्योंकि ऐसे मामलों में त्रुटि कानून की त्रुटि के बराबर होती है। रिट क्षेत्राधिकार केवल उन मामलों तक ही विस्तारित होता है, जहां निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किए जाते हैं या उनके द्वारा उनमें निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप या वे अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अवैध या अनुचित तरीके से कार्य करते हैं, जिससे न्याय में गंभीर चूक होती है।

हेंज इंडिया (पी) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2012) 5 एससीसी 443 में उनके माननीय न्यायाधीशों ने पैराग्राफ संख्या 66 और 67 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

"66. न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग से निपटने वाला न्यायालय विधानमंडल या कार्यपालिका या उनके प्रतिनिधियों के निर्णय के स्थान पर किसी भी प्रांत के मामलों में अपना निर्णय नहीं देता है, और न्यायालय अपनी समीक्षा द्वारा "विशेषज्ञ की भावना" को प्रतिस्थापित नहीं करता है, यह भी इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा काफी हद तक स्थापित है। ऐसे सभी मामलों में न्यायिक जांच केवल यह पता लगाने तक सीमित है कि तथ्यों के निष्कर्षों का साक्ष्य पर उचित आधार है या नहीं और क्या ऐसे निष्कर्ष देश के कानूनों के अनुरूप हैं।

67. धरंगधर केमिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम सौराष्ट्र राज्य में इस न्यायालय ने माना कि तथ्य के किसी प्रश्न पर न्यायाधिकरण का निर्णय, जिसे निर्धारित करने का अधिकार उसके पास है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, जब तक कि यह किसी साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से समर्थित न हो। इसी प्रभाव के लिए इस न्यायालय द्वारा थानसिंह नाथमल मामले में लिया गया दृष्टिकोण है, जहां इस न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय आम तौर पर ऐसे प्रश्नों का निर्धारण नहीं करता है, जिनके लिए रिट का दावा किए

जाने वाले प्रवर्तन के अधिकार को स्थापित करने के लिए साक्ष्य की विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है।"

पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग एवं अन्य बनाम अब्दुल हलीम एवं अन्य (2019) 18 एससीसी 39 में रिपोर्ट किए गए मामले में, उनके माननीय न्यायाधीशों ने पैराग्राफ संख्या 30 में यह निर्धारित किया है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा यह निर्धारित करने के बाद किया जाना चाहिए कि आरोपित मामला रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि के कारण दोषपूर्ण है और तर्क की प्रक्रिया द्वारा इसे स्थापित नहीं किया गया है, उपरोक्त निर्णय का पैरा-30 इस प्रकार है:-

"30. न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को यह देखना है कि क्या विवादित निर्णय कानून की स्पष्ट त्रुटि से दूषित है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई निर्णय रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि से दूषित है, यह परीक्षण है कि क्या त्रुटि रिकॉर्ड के तथ्य पर स्वयं-स्पष्ट है या क्या त्रुटि को स्थापित करने के लिए जांच या तर्क की आवश्यकता है। यदि किसी त्रुटि को तर्क की प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया जाना है, तो उन बिंदुओं पर जहां उचित रूप से दो राय हो सकती हैं, इसे रिकॉर्ड के तथ्य पर त्रुटि नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि इस न्यायालय ने सत्यनारायण बनाम मल्लिकार्जुन में एआईआर 1960 एससी 137 में रिपोर्ट किया है। यदि किसी वैधानिक नियम का प्रावधान उचित रूप से दो या अधिक निर्माणों में सक्षम है और एक निर्माण को अपनाया गया है, तो निर्णय रिट कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप के लिए खुला नहीं होगा। यह केवल प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान की स्पष्ट गलत व्याख्या है, या उसके प्रति अज्ञानता या उपेक्षा है, या ऐसे कारणों पर आधारित निर्णय है जो कानून में स्पष्ट रूप से गलत हैं, जिसे रिट कोर्ट द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी करके ठीक किया जा सकता है।

टी.सी. बसप्पा बनाम टी. नागप्पा के मामले में (1955) 1 एससीआर 250 में रिपोर्ट की गई, उनके आधिपत्य ने माना कि किसी निर्णय में पेटेंट त्रुटि को उत्प्रेषण रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, जब यह कार्यवाही के दौरान स्पष्ट त्रुटि से प्रकट होती है। उपर्युक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया गया है:-

10. ..... निर्णय या निर्धारण में कोई त्रुटि भी उत्प्रेषण रिट के लिए उत्तरदायी हो सकती है, लेकिन यह कार्यवाही के तथ्य पर स्पष्ट त्रुटि होनी चाहिए, उदाहरण के लिए जब यह कानून के प्रावधानों की स्पष्ट अज्ञानता या उपेक्षा पर आधारित हो। दूसरे शब्दों में, यह एक पेटेंट त्रुटि है जिसे उत्प्रेषण द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन यह महज एक गलत निर्णय नहीं है।

.....

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णयों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर विचार किया गया है, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दिए गए आदेश में रिकॉर्ड के आधार पर त्रुटि प्रतीत होती है।

14. यह न्यायालय अब आदेश की वैधता और औचित्य की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में रिकॉर्ड के आधार पर स्पष्ट त्रुटि है। उपरोक्त मुद्दे पर तभी निर्णय लिया जाना है, जब आयु की स्वीकृति के संबंध में कानून पर विचार किया जाना है।

15. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि उम्र पर विचार करते समय मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र एक मजबूत सामग्री है। इस संबंध में संदर्भ मनोज कुमार बनाम दिल्ली सरकार और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से लिया जा सकता है, जिसकी रिपोर्ट (2010) 11 एससीसी 702 में की गई थी। उपर्युक्त फैसले का प्रासंगिक हिस्सा नीचे उद्धृत है:-

> 12. ..... जबकि मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र एक मजबूत सामग्री है, अन्य समान रूप से प्रासंगिक सामग्री को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, खासकर जब मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र को सही किया गया हो .....

16. इस न्यायालय की माननीय पूर्ण पीठ ने यह भी माना है कि यदि जन्म तिथि में कोई विवाद है, तो मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्म तिथि को निर्णायक सबूत माना जाता है, जैसा कि कामता पांडे बनाम बीसीसीएल में दिए गए फैसले के अनुसार है। [2007(3) जेएलजेआर 726 (एफ.बी.)] में रिपोर्ट की गई है, जिसमें इस न्यायालय की माननीय पूर्ण पीठ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए पैरा-29 में निष्कर्ष निकाला है, जो इस प्रकार है:-

> 29. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, इस मामले में उठाए गए प्रश्न का हमारा उत्तर इस प्रकार है: शिक्षा बोर्ड द्वारा विधिवत प्रमाणित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि उम्र का निर्णायक प्रमाण है और सेवा रिकॉर्ड सहित कोई अन्य रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि दोनों पक्ष राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता III के कार्यान्वयन निर्देश संख्या 76 द्वारा शासित हैं।

17. हालांकि, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में, मेडिकल बोर्ड द्वारा इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति केवल मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता के मामले में ही ली जानी चाहिए। मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के निर्णायक सबूत को स्वीकार करने का कारण उक्त निर्णय में बताया गया है कि चूंकि इसे राज्य के बल और आदेश के तहत बनाई गई वैधानिक संस्था द्वारा जारी किया गया है।

18. यह न्यायालय अब आरोपित आदेश में वैधता और औचित्य की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जैसा कि आरोप लगाया गया है, हमने पाया है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को खारिज करने के आरोपित आदेश में हस्तक्षेप दिखाने में रिट याचिकाकर्ता की दलील को खारिज कर दिया है, क्योंकि रिट याचिकाकर्ता ने मृतक पिता द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत डेटा फॉर्म में उल्लिखित आयु पर भरोसा किया है, यानी अनुलग्नक-1 के अनुसार।

19. विद्वान न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी की जन्म तिथि को स्वीकार कर लिया है जैसा कि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में उपलब्ध है। तदनुसार, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में उल्लिखित आयु के आधार पर प्रतिवादी के मामले पर विचार करने का निर्देश पारित किया गया है।

20. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार, उपर्युक्त निष्कर्ष कानून के स्थापित प्रस्ताव पर आधारित है कि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में अंकित आयु, कामता पांडे बनाम बीसीसीएल (सुप्रा) के मामले में इस माननीय न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित निर्णय के अनुसार आयु का निर्णायक साक्ष्य होगी, इसलिए, यह न्यायालय इस विचार पर है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां यह कहा जा सके कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश रिकॉर्ड के आधार पर स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है।

21. तदनुसार, यह न्यायालय न्यायिक समीक्षा के प्रयोग में यह मानता है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां आरोपित आदेश में कोई हस्तक्षेप दर्शाने की आवश्यकता है, ऐसे में, तत्काल रिट याचिका में योग्यता का अभाव है और इसे खारिज किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

सुनील/ए.एफ.आर.

यह अनुवाद अधिवक्ता ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।